

अध्याय 3 : उत्पाद शुल्क योग्य माल का मूल्यांकन

इस लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, हमने ` 547.93 करोड़ के शुल्क प्रभाव सहित उत्पाद शुल्क योग्य माल के गलत मूल्यांकन के 25 मामलों देखें। इनका इसे बताने वाली केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राप्ति लेखापरीक्षा (सीईआरए) से पूर्व विभागीय अनुपालन सत्यापन तंत्रों द्वारा पता लगाया नहीं गया था। मंत्रालय/विभाग ने ` 238.83 करोड़ शुल्क वाले 10 मामलों में हमारी आपत्तियों पर सहमत हुआ/सुधारात्मक कार्रवाई की तथा नौ मामलों में ` 68.74 लाख की वसूली की। इन मामलों में से कुछ का निम्नलिखित पैराग्राफो मे वर्णन किया गया है।

3.1 अन्तः सम्बद्धित उपक्रमों के लिए माल की निकासी के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क देयता

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1) अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुबंधित करती है कि जैसाकि इस अधिनियम के तहत, उत्पाद शुल्क माल के प्रत्येक निष्कासन पर उनके मूल्य के संदर्भ में किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर आदेय है, अतः ऐसा मूल्य उस मामले में होगा जहां माल निर्धारिती द्वारा निष्कासन के समय तथा स्थान पर वितरण हेतु बेचा गया हो, माल का निर्धारिती तथा क्रेता संबंधित न हो तथा कीमत बिक्री के लिए एकमात्र निमित्त हो तथा हस्तांतरण मूल्य हो। यह बताता है कि किसी अन्य मामले में, मूल्य ऐसे तरीके से निर्धारित मूल्य होगा जैसा निर्धारित किया जा सकता है।


धारा 4(3) (बी) यह भी अनुबंधित करती है कि व्यक्तियों को 'संबंधित' माना जाएगा यदि-

- (i) वे अन्तः संबंधित उपक्रम के हो,
- (ii) वे रिश्तेदार हो,
- (iii) उनके बीच क्रेता एक रिश्तेदार हो तथा निर्धारिती का वितरक अथवा ऐसे वितरक का उप-वितरक हो, या

(iv) वे इतने सहयोगी हो कि उनकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक-दूसरे के व्यवसाय में रूचि हो।

धारा 4(3)(बी) के नीचे स्पष्टीकरण उन परिस्थितियों को वर्णित करता है जिसमें दो उपक्रमों को 'अन्त सम्बंधित उपक्रम' के रूप में प्रतिपादित किया जाएगा।

3.1.1 उपरोक्त दर्शाया गया उप-खण्ड (एफ) का स्पष्टीकरण अनुबंधित करता है कि यदि उपक्रम को उसी व्यक्ति या उसी समूह द्वारा अधिकार में रखा या नियंत्रित किया जाता है तो वो अधिनियम के उद्देश्यों के लिए अन्तः सम्बंधित उपक्रम होगा। इसके अलावा, धारा 4 के स्पष्टीकरण V के द्वारा "ग्रुप" में अन्य बातों के साथ-साथ दो निकायों को शामिल किया जाएगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी निकाय पर नियंत्रण रखती है।



वोक्सवैगन इंडिया प्रा.लि. (वीआईपीएल) के रिकॉर्डों की जांच के दौरान, हमने देखा की वोक्सवैगन कारो को वीआईपीएल के साथ-साथ मै. स्कोडा ऑटो इंडिया प्रा.लि. (एसएआईपीएल) द्वारा भारत में निर्मित किया जाता है। तथापि, सभी वोक्सवैगन कारो को अन्य किसी उपक्रमों अर्थात वोक्सवैगन ग्रुप सेल्स इंडिया प्रा.लि. (वीजीएसआईपीएल) के माध्यम से भारत में बेचा जाता है। हमने यह भी देखा कि वीआईपीएल तथा वीजीएसआईपीएल दोनों को दो अन्य विदेशी कम्पनियों अर्थात वोक्सवैगन एजी तथा वोक्सवैगन इंटरनेशनल फाइनेंस एनवी द्वारा स्वामित्व में रखा जाता है। मै. वोक्सवैगन इंटरनेशनल फाइनेंस एनवी मै. वीआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल में क्रमशः 23 प्रतिशत तथा 99 प्रतिशत से अधिक प्रदत्त शेयर रखता है। दोनों कम्पनियों में शेष शेयरों को वोक्सवैगन एजी द्वारा स्वामित्व में रखा जाता है। चूंकि मै. वीआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल को इसी समूह द्वारा स्वामित्व में रखा तथा नियंत्रित किया जाता है अतः वे उद्धरित स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (एफ) द्वारा अन्तः सम्बद्ध उपक्रम है तथा इसलिए अधिनियम की धारा 4 के तहत संबंधित व्यक्ति है। इस वजह से, निर्धारणीय मूल्य निर्दिष्ट नियमो अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत का निर्धारण) नियम, 2000 द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

उपरोक्त दर्शाई गई नियमावली का नियम 10 परिकल्पित करता है कि जब एक निर्धारिती यह व्यवस्था करता है कि उत्पाद शुल्क योग्य माल को उसके द्वारा एक अन्तः सम्बद्ध उपक्रम के लिए या उसके माध्यम से बेचा जाए, तो माल के मूल्य को निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:-

(क) यदि एक उपक्रम इतना सम्बद्धित होता है कि वे अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (बी) के उप-खण्ड (ii) या (iii) या (iv) के अनुसार भी संबंधित हो या क्रेता निर्धारिती की कम्पनी तथा सहायक कम्पनी को रखता हो तो मूल्य को नियम 9 में निर्दिष्ट तरीके से निर्धारित किया जाना चाहिए।

(ख) किसी अन्य मामले में, मूल्य को निर्धारित किया जाएगा जैसे कि वे धारा 4 की उप धारा (1) के उद्देश्य हेतु संबंधित व्यक्ति नहीं है।

इसके अलावा, नियम 9 परिकल्पित करता है कि जहां उत्पाद शुल्क योग्य माल को उस व्यक्ति के लिए या उसके माध्यम से एक निर्धारिती द्वारा बेचा जाता है जो या तो उप खण्डों (ii), (iii) या (iv) की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट तरीके से संबंधित हो, वहां माल का मूल्य सामान्य हस्तांतरण मूल्य होना चाहिए जिस पर उसे क्रेता (संबंधित व्यक्ति नहीं) के लिए हटाने के समय पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बेचा जाता है।

इस मामले में, हमने अवलोकन किया कि विक्रेता तथा क्रेता अन्तः संबंधित उपक्रम है। उन्हें धारा 4(3) के उप-खण्ड (iv) को पूरा करने के लिए भी देखा जा सकता था अर्थात् वे इतनी संबंधित हैं कि उनका एक दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है। भले ही दो कम्पनियां एक दूसरे में शेयर नहीं रखती हैं, तथापि वीआईपीएल अपनी कारों की बिक्री के लिए पूर्ण रूप से वीजीएसआईपीएल पर निर्भर है। इसलिए भी वीजीएसआईपीएल की बिक्री गतिविधियां वीआईपीएल (इसके अन्य स्रोत इसकी अन्य ग्रुप डिविजन कम्पनियां एसएआईपीएल, ऑडी इंडिया तथा पोरस्चे इंडिया हैं) द्वारा इसकी निर्मित तथा आपूर्ति की गई कारों पर एक महत्वपूर्ण सीमा पर निर्भर करेगा। अतः इसमें हित की पारस्परिकता है तथा इस कारण से मूल्य को उपरोक्त नियम 9 लागू करके निर्धारित करना है।

इसलिए मैं. वीजीएसआईपीएल द्वारा इसके ग्राहकों को बिक्री पर रिलीज किए माल का मूल्य मैं. वीआईपीएल के निर्धारणीय मूल्य के उद्देश्य हेतु मूल्य होगा। हमने मैं. वीजीएसआईपीएल के 2011-12 तथा 2012-13 के तुलन-पत्र से देखा कि संबंधित पार्टी लेन-देन के प्रकटन ने मैं. वीआईपीएल द्वारा निर्मित माल की खरीद को दर्शाया। ई आर-1 रिपोर्टों के लिए माने गए मूल्य की तुलना के संदर्भ में वीजीएसआईपीएल द्वारा व्यापार किए गए मोटरकारों की खरीद से संबंधित आकड़ों की तुलना करके, हमने देखा कि इसमें ` 647.71 करोड़ का अन्तर था जो वारंटी प्रभारे, वीजीएसआईपीएल मार्जिन आदि जैसी राशियों के लिए आरोपणीय होगा। चूंकि मैं. वीआईपीएल तथा मैं. वीजीएसआईपीएल संबंधित कम्पनियां हैं, अतः उपरोक्त प्रभारों को मैं. वीआईपीएल द्वारा निर्मित मंजूरी के निर्धारण योग्य मूल्य की संगणना करने

में शामिल किया जाना है। इसके समावेशन न होने के परिणामस्वरूप 182.71 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमने इसे जनवरी 2014 में बताया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2014) कि यद्यपि मै. वीआईपीएल तथा मै. वीजीसीआईपीएल अन्तः संबंधित उपक्रम है, तथापि मै. वीआईपीएल द्वारा अनुमति को नियम 10 के तहत कवर नहीं किया जाएगा क्योंकि मै. वीआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल का एक धारक तथा सहायक संबंध नहीं है। इसके अलावा, डीजीसीईआई, पुणे क्षेत्रीय इकाई पहले ही मै. वीजीएसआईपीएल को बिक्री के संबंध में मै. वीआईपीएल द्वारा निर्मित वाहनों के प्रबंध मूल्य के कम मूल्यांकन के संदर्भ में जांच पड़ताल कर रहा है, अतः सीईआरए अवलोकनों को डीजीसीईआई की जांच के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा का मत यह है कि उपक्रम केवल अन्तर-संबंधित ही नहीं है अपितु धारा 4(3)(बी) के उप-खण्ड (iv) के तहत 'एक दूसरे के व्यवसाय में पारस्परिक हित' की आवश्यकता को भी पूरा करते हैं।

यह भी बताया जाता है कि जब उपक्रमों को इतना संबंधित बताया जाता है कि उनका एक-दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है, इस पर न तो अधिनियम और न ही नियम स्पष्टता प्रदान करता है।

हमने यह भी अवलोकन किया कि दो पार्टियों के बीच उनके अंत सम्बद्धित उपक्रमों के अलावा 'धारक तथा सहायक संबंध' की एक अतिरिक्त आवश्यकता का सम्मिलित करके, नियम 10(ए) ने अधिनियम की धारा 4(1) के प्रावधानों को महत्वपूर्ण रूप से कम किया है। लेखापरीक्षा का मत है कि नियम विधिवत प्रस्तावित सांविधिक प्रावधानों में परिकल्पित कार्यक्षेत्र से अलग बन गया है। जहां पार्टियां 'अन्तःसम्बद्धित उपक्रम' हैं सहित किसी भी मामले जहां पार्टियों को संबंधित माना जाएं, में नियत अधिनियम था कि मूल्य को निर्दिष्ट रूप में निर्धारित किया जाएगा। संसद द्वारा धारक-सहायक संबंध जैसे एक अतिरिक्त मानदण्ड को पूरा न करने के अन्त सम्बद्धित उपक्रमों के संदर्भ में कोई अपवाद नहीं बनाया था, निर्धारण योग्य मूल्य लेन-देन मूल्य सामान्य

लेन-देन मूल्य होगा। वास्तव में, नियम 10(ए) के प्रभाव को इस तथ्य में स्पष्ट रूप से देखा जाता है कि यह समग्र रूप से धारा 4(3) (बी) (i) के अस्तित्व और अधिनियम की धारा 4(3) की व्याख्या में अन्तः सम्बद्धित उपक्रमों की विस्तृत परिभाषा को निष्प्रभावित/अप्रासंगिक करता है। नियम 10 अपेक्षा करता है कि या तो दो पार्टियों को धारक कम्पनी/ सहायक कम्पनी संबंधों को साझा करना चाहिए या उन्हें धारा 4(3) (बी) के अन्तर्गत अन्य तीन उपखण्डों में से एक के अनुसार मानदण्डों को पूरा करना चाहिए।

हम बल देते हैं कि 'धारक और सहायक संबंधता' की अतिरिक्त आवश्यकता को प्रारंभ करने के साथ धारा 4(3) (बी) के उपखण्ड (iv) के उद्देश्यों के हित की पारस्परिकता को बनाने वाले संबंधित स्पष्ट प्रावधानों के अभाव से वास्तव में संसद द्वारा परिकल्पित न्यूनतर मूल्य पर कर भुगतान हेतु कुछ अन्तः सम्बद्धित उपक्रमों के लिए साद्यन उपलब्ध कराएं।

यहां यह भी उल्लेख करना है कि जुलाई 2000 तक जब संशोधित धारा 4 प्रारंभ की गई थी, 'संबंधित व्यक्ति' का तात्पर्य निर्धारिती से संबंधित उस व्यक्ति से है जिनका एक दूसरे के व्यवसाय में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हित है और इसमें धारक कम्पनी, सहायक कम्पनी, निर्धारिती का संबंधी और वितरक और ऐसे वितरक का कोई उपवितरक शामिल है। इस प्रकार वास्तव में नियम 10 'संबंधित व्यक्ति' की पिछली परिभाषा को दोहराने/पुनः बताने को प्रभावित करता है।

सिफारिश संख्या 5

(क) मंत्रालय को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्य निर्धारण (उत्पाद शुल्क योग्य माल की कीमत निर्धारण) नियमावली के नियम 10 की समीक्षा करनी चाहिए क्योंकि यह अधिनियम में परिकल्पित न होने वाले 'धारक तथा सहायक संबंध' की एक अतिरिक्त आवश्यकता पर प्रभाव डालती है।

(ख) जैसा कि विधि में "अन्तर सम्बन्धित उपक्रम" "समूह", "सम्बन्धित व्यक्ति", "समान प्रबन्धन के अन्तर्गत" शब्दों की व्यवस्था की गई है, उसी प्रकार अधिनियम की धारा 4(3) (बी) के खण्ड (iv) के उद्देश्य के लिए क्या

“एक दूसरे के कारबार में हितों की पारस्परिकता” बनाएगा को दर्शाने वाले स्पष्ट प्रावधानों को प्रारम्भ किए जाने की आवश्यकता है।

3.1.2 धारा 4(3) (बी) के नीचे स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (जी) में परिकल्पना की गई है कि यदि कोई उपक्रम या तो प्रत्यक्ष रूप में अथवा कई उपक्रमों के माध्यम से जो अन्तर संबंधित उपक्रम है, दूसरे उपक्रमों से जुड़ा हुआ है तो ये दोनों उपक्रम भी अधिनियम की धारा 4(3) (बी) (i) के उद्देश्य से अन्तः संबंधित उपक्रम होंगे।

औरंगाबाद कमिश्नरी में, मै. एसएआईपीएल के अभिलेखों की जांच के दौरान, हमने देखा कि कम्पनी यात्री कारों का विनिर्माण करती है जो केवल मै. वीजीएसआईपीएल के माध्यम से बेची गई थी। मैसर्स एसएआईपीएल मै. वोक्सवैगन एजी की सहायक कम्पनी के बदले में मै. स्कोडा ए.एस. की एक सहायक कम्पनी है। मै. वोक्सवैगन एजी की अन्तिम नियंत्रक कम्पनी मै. पोर्सच आटोमोबाइल होल्डिंग एसई है जो दूसरी विदेशी कम्पनी है (50 प्रतिशत शेयरों से अधिक सहित)। मै. पोर्सच आटोमोबाइल होल्डिंग एसई मै. वोक्सवैगन इन्टरनेशनल फाइनैस एनवी के लिए भी अन्तिम नियंत्रक कम्पनी है। इसके अतिरिक्त मै. वोक्सवैगन एजी ग्लोबल आटोमोटिव सीवी में 99.9 प्रतिशत शेयर की धारक है जो वोक्सवैगन इन्टरनेशनल फाइनैस एनवी के 100 प्रतिशत शेयरों की धारक है तथा जो बदले में मै वीजीएसआईपीएल के 99 प्रतिशत से अधिक शेयरों की धारक है।

इस प्रकार 4(3) (बी) के नीचे स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (जी) के द्वारा, मै. एसएआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल भी अन्तः संबंधित उपक्रम होगी क्योंकि पहली दूसरी से अप्रत्यक्ष रूप से अन्य अन्तः संबंधित उपक्रमों के माध्यम से जुड़ी हुई है।

इसलिए, अधिनियम की धारा 4 के उद्देश्य से मै. वीजीएसआईपीएल द्वारा माल के लिए वसूली गई कीमत मै. एसएआईपीएल द्वारा विनिर्मित ऑडी एवं वोक्सवैगन कारों की कीमत होनी चाहिए। हमने देखा कि मै. वीजीएसआईपीएल ने अपने डीलरों के माध्यम से बेची गई ऑडी कार के सम्बन्ध में प्रत्येक कार के खुदरा बिक्री मूल्य में 9.5 प्रतिशत तथा वोक्सवैगन कारों के संबंध में 6 प्रतिशत का मार्जिन शामिल किया था। निर्धारण योग्य

मूल्य में उपरोक्त मार्जिन राशि को शामिल न करने के परिणामस्वरूप 121.45 करोड़ के शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

हमने इसे फरवरी 2014 में बताया था।

इस तर्क को स्वीकार करते समय कि दो उपक्रम अन्तः संबंधित उपक्रम हैं, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 का नियम 10 लागू नहीं है क्योंकि इस मामले में नियम 10(ए) की चारों शर्तों में से एक भी पूरी नहीं होती है।

तथापि, यह दोहराया गया था कि मै. एसएआईपीएल तथा मै. वीजीएसआईपीएल अन्तः संबंधित उपक्रम है जैसा कि ऊपर धारा 4(3) (बी) के नीचे स्पष्टीकरण के उप-खण्ड (जी) द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 का नियम 10 पैराग्राफ 3.1.1 में चर्चा किये गये समान आधारों पर लागू होगा।

3.2 कीमत समझौते पर शुल्क का भुगतान ना करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 के स्पष्टीकरण में अन्य बातों के साथ साथ परिकल्पना की गई है कि एक निर्धारिती द्वारा बेचे गए उत्पाद शुल्क योग्य माल के शुल्क सहित मूल्य में अतिरिक्त प्रतिफल, यदि कोई है, जो ऐसे माल की बिक्री के सम्बन्ध में क्रेता से निर्धारिती की ओर प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाह होता है, का राशि मूल्य शामिल होगा।

पुणे-।।। कमिश्नरी में मै. फिएट इण्डिया आटोमोबाइल्स लिमिटेड के अभिलेखों की नमूना जांच से पता चला कि निर्धारिती ने मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड के लिए 'मान्जा' ब्राण्ड की कारें विनिर्मित की थी। 2012 के मई एवं जून माह के दौरान, निर्धारिती ने वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के लिए उपरोक्त मॉडलों के मूल्य समझौते के प्रति मै. टाटा मोटर्स लिमिटेड से डेबिट नोटस उदभूत किए थे। लेन देन मूल्य के प्रति 93.54 करोड़ की राशि के इस डेबिट नोट

को शामिल ना करने के परिणामस्वरूप ` 21.44 करोड़ के शुल्क का कम भुगतान हुआ।

हमने सितम्बर 2013 में इसे बताया था।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि डीजीसीईआई, मुम्बई ने मार्च 2013 में जब्त किये गए दस्तावेजों के आधार पर बृहत मूल्यांकन मुद्दों पर जाँच पड़ताल की थी। 2009-14 की अवधि को कवर करते हुए। जून 2014 में ` 335.33 करोड़ के लिए एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था तथा शुल्क की उपरोक्त मांग में सीईआरए द्वारा बताए गए डेबिट नोट के माध्यम से अतिरिक्त प्रतिफल शामिल है।

3.3 अतिरिक्त प्रतिफल को शामिल न करना

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4(1)(ए) में अनुबंध किया जाता है कि जब किसी उत्पाद शुल्क योग्य माल पर उत्पाद शुल्क इसके मूल्य के संदर्भ में प्रभारित किया जाता है। तब ऐसा मूल्य 'लेन देन मूल्य' को प्रभार्य होगा जिसमें ऐसे माल की बिक्री से संबंधित क्रेता की ओर से निर्धारिती को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाह होने वाला अतिरिक्त प्रतिफल यदि कोई है, शामिल होगा। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 के नियम 6 में अनुबंध किया जाता है कि ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य एक मात्र प्रतिफल नहीं है, वहाँ निर्धारण योग्य मूल्य, मूल्य तथा क्रेता से निर्धारिती को प्रत्यक्ष रूप से अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रवाहित होने वाले अतिरिक्त प्रतिफल के धन मूल्य के योगफल पर आधारित होगा। मै. सुपर सिनोटैक्स (इण्डिया) लिमिटेड¹⁶ में 28 फरवरी 2014 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जब तक बिक्री कर का वास्तविक रूप से भुगतान राज्य सरकार के बिक्री कर विभाग को नहीं कर दिया जाता, तब तक 'लेन देन मूल्य' की अवधारणा के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क के प्रति कोई लाभ नहीं दिया जा सकता।

¹⁶ 2014 (301) ईएलटी 273 (एससी)

3.3.1 मुम्बई-एलटीयू कमिश्नरी में मै. बजाज ऑटो लिमिटेड के अभिलेखों की जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने आस्थगित बिक्री कर अभिलाभों के कारण 2010-11 तथा 2012-13 के दौरान क्रमशः ` 826.82 करोड़ तथा ` 68.95 करोड़ की एक राशि प्राप्त की थी। ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारण योग्य मूल्य निर्धारित करते समय इस प्रकार संग्रहण की गई परन्तु सरकार को भुगतान न की गई बिक्री कर की राशि को प्रतिफल माना जाना था। इसे शामिल न करने के परिणामस्वरूप ` 103.02 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

हमने इसके बारे में जुलाई 2013 में बताया।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर तथा दिनांक 17 सितम्बर, 2014 के विभागीय अनुदेशों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने के लिए तैयार किया जा रहा है।

3.3.2 समान रूप से पुणे-III कमिश्नरी में मै. फिएट (आई) ऑटोमोबाईल्स प्राइवेट लिमिटेड ने आस्थगित बिक्री कर अभिलाभों के प्रति 2010-11 से 2012-13 के दौरान ` 841.98 करोड़ प्राप्त किये थे जिसके परिणामस्वरूप ` 89.72 करोड़ के शुल्क का कम उदग्रहण हुआ।

हमने इसके बारे में सितम्बर 2013 में बताया था।

मंत्रालय ने सूचित किया (अक्टूबर 2014) कि मई 2009 से जून 2014 की अवधि के लिए जून 2014 में ` 238.14 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था।

3.4 सहयोगी कम्पनियों को बेचा हुआ माल

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क मूल्यांकन (उत्पाद शुल्क योग्य माल के मूल्य का अवधारण) नियमावली, 2000 के नियम 8 के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 4 में निर्धारित किया जाता है कि जहाँ उत्पाद शुल्क योग्य माल का उपयोग निर्धारिती द्वारा खपत अथवा उसकी तरफ से अन्य वस्तुओं के उत्पादन अथवा विनिर्माण के लिए हुआ है, वहाँ मूल्य ऐसे माल के उत्पादन अथवा विनिर्माण की लागत का एक सौ दस

प्रतिशत होगा। बोर्ड ने दिनांक 13 फरवरी 2003 के अपने परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में सीमित रूप से खपत किये गये माल के उत्पादन की लागत, लागत लेखांकन मानक 4 (सीएस-4) के अनुसार कड़ाई से गिनी जाएगी।

3.4.1 हमने पुणे-। कमिश्नरी में मैं मैं बॉश चेसिस सिस्टम्स इण्डिया लिमिटेड के अभिलेखों से पता लगाया कि निर्धारिती ने 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान मानेसर, सितारगंज तथा जलगाँव में स्थित अपनी सहयोगी इकाईयों को माल बेचा था। केन्द्रीय उत्पाद शुल्क बीजकों की जाँच से पता चला कि निर्धारिती ने जनवरी 2012 से जुलाई 2012 तक की अवधि के लिए सीएस-4 मूल्यांकन के अनुसार शुल्क का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ` 15.30 लाख (ब्याज को छोड़कर) के शुल्क का कम भुगतान हुआ। जनवरी 2013 से मार्च 2013 तक की अवधि के लिए विभेदक शुल्क भी भुगतान योग्य होगा जिसके लिए इस अवधि हेतु सीएस-4 मूल्यांकन को अभी अन्तिम रूप दिया जाना था।

हमने जनवरी 2014 में इसे बताया।

लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2014) कि निर्धारिती ने फरवरी एवं मार्च 2014 के दौरान `46.04 लाख के शुल्क एवं ब्याज का भुगतान किया है।

3.4.2 चार कमिश्नरियों के अन्तर्गत अन्य निर्धारितियों के 11 मामलों में, 2010-11 से 2012-13 के दौरान उनकी सहयोगी इकाईयों को उत्पाद शुल्क योग्य माल मंजूर किया गया था। अभिलेखों की जांच से पता चला कि इन इकाईयों द्वारा सीएस-4 तैयार/अद्यतित नहीं किया गया था। अतः लेखापरीक्षा शुल्क के कम भुगतान की गणना नहीं कर सकता।

हमने मई 2013 तथा मार्च 2014 के बीच इसे बताया।

विभाग ने आपत्तियों को स्वीकार किया (मई -जून 2014) तथा छः मामलों में ` 19.83 लाख की वसूली की सूचना दी।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।

3.5 डेमो कारों का कम मूल्यांकन

बोर्ड के दिनांक 1 अप्रैल, 2003 के परिपत्र के अनुसार, डेमो कारों पर भुगतान योग्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समान सामान्य कारों पर भुगतान किये गए शुल्क के बराबर होगा।

चेन्नई-11। कमिश्नरी में मै. हिन्दुस्तान मोटर्स इण्डिया लिमिटेड (एचएमआईएल) अध्याय 87 के अन्तर्गत आने वाली यात्री कारों के विनिर्माण में लगा हुआ है। बीजको एवं कारों की मूल्य सूची की संवीक्षा के दौरान हमने पाया कि निर्धारिती ने डेमों उद्देश्यों के लिए सामान्य मूल्य की अपेक्षा कम मूल्य पर अपने डीलरों को कारें बेची थी। एचएमआईएल द्वारा डेमो कारों के लिए कारों के सामान्य मूल्य को ना अपनाने के परिणामस्वरूप वर्ष 2011-12 के दौरान ` 28.92 लाख का कम मूल्यांकन हुआ और ` 6.89 लाख के शुल्क का परिणामी कम भुगतान हुआ।

हमने जुलाई 2013 में इसके बारे में बताया था।

मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2014)।